भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-*47

बुधवार, 20 दिसम्बर, 2017/29 अग्रहायण, 1939 (शक)

युवाओं में बेरोज़गारी

*47. सुश्री दोला सेनः

क्या श्रम और रोजगारमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले एक वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वाराकितने बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार प्रदान कियागया है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितने युवाओं कोरोज़गार प्रदान किया गया है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

सुश्री दोला सेनद्वारा युवाओं में बेरोज़गारीके संबंध में 20.12.2017 को पूछे गए राज्य सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *47 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क)से(ख): रोजगार सृजन एवं नियोजनियता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में अनेक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को तीव्रता से निष्पादित करना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी),महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

सृजित रोजगार			
योजनाएं/वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
पीएमईजीपी (व्यक्ति लाख में)	3.58	3.23	4.08
एमजीएनआरईजीएस (मानव दिवस करोड़ में)	166.29	235.15	235.76
डीडीयू-जीकेवाई (व्यक्ति लाख में)	0.54	1.35	0.85
(डीएवाई-एनयूएलएम) (व्यक्ति लाख में)	0.99	0.93	2.36

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के वेतन अनुसंधान एकक (पीआरयू) की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख मंत्रालयों/विभागों (संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर) में केन्द्र सरकार के सिविलियन नियमित कर्मचारियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई हैं:

वर्ष (1 मार्च की स्थिति के अनुसार)	2013	2014	2015
कर्मचारी (लाख में)	31.14	32.24	32.29

युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु, लगभग 22 मंत्रालय/विभागविभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण (एनएसडीए), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2015-16 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुशल बनाए गए व्यक्तियों की संख्या 1.04करोड़ थी।

सरकार ने राष्ट्रीय आजीविका सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल सम्मिलित है जो गतिशील, दक्ष एवं प्रतिक्रियाशील ढंग से रोजगार के मिलान हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्व-रोजगार को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा एवं स्टार्ट अप्स योजनाएं आरंभ की गई हैं। स्व-रोजगार के संवर्धन हेतु लघु/सूक्ष्म व्यापारिक उद्यमों तक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनएफबीसीज) तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एमएफआईज) द्वारा प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) योजना के अंतर्गत विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, कृषि से जुड़ी सेवाओं एवं कार्यकलापों हेतु 10 लाख तक का ऋण प्रदान कराकर ऋण का विस्तार किया गया है।

पूर्ण ब्यौरा राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित किया जा रहा है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-271
बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018/21 अग्रहायण, 1940 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन

271. श्री प्रभात झाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियोक्ताओं को प्रेरित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नामक एक योजना चलाई जा रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से चल रहा है और क्या योजना के अब तक के परिणाम सकारात्मक एवं अपेक्षानुरूप हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): जी हां। नए रोजगार के सृजन के लिए 09 अगस्त, 2016 को नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार 01.04.2018 से ईपीएस एवं ईपीएफ दोनों के लिए नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान 12% (समय-समय पर यथा-स्वीकार्य) का भुगतान सभी नए पात्र कर्मचारियों को तीन वर्षों की अवधि के लिए तथा विद्यमान लाभार्थियो को ईपीएफओ के माध्यम से उनकी शेष तीन वर्षों की अवधि के लिए कर रही है। प्रतिष्ठानों के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2019 है। यह योजना 15,000/- रुपए प्रतिमाह कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित है। इस योजना का दोहरा लाभ है, जहां एक ओर यह नियोक्ता को प्रतिष्ठान में कामगारों के नियोजन-आधार में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करती है वहीं दूसरी ओर इससे बड़ी संख्या में कामगारों को ऐसे प्रतिष्ठानों में नौकरियां प्राप्त होंगी। इसका सीधा लाभ यह है कि इन कामगारों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध होंगे।

(ग) एवं (घ): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना समुचित ढंग से संचालित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत 5.12.2018 की स्थिति के अनुसार लाभ का विवरण (जैसा कि पीएमआरपीवाई पोर्टल पर अभिलक्षित है) निम्नानुसार हैः

1. कर्मचारी लाभार्थियों की कुल संख्या – 91,85,937

2. लाभांवित प्रतिष्ठानों की कुल संख्या – 1,14,145

3. संवितरित कुल भुगतान – 2870.72 करोड़ रुपए।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 273

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018/21 अग्रहायण, 1940 (शक)

ईपीएफओ में आमूलचूल परिवर्तन की योजना

273. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

श्री टी. जी वेंकटेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ईपीएफओ में आमूलचूल परिवर्तन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पहल के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रबंधन के लिए कोई संवर्ग सृजित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं।

(ख) से (घ): प्रश्न के भाग (क) के उपर्युक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

******

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1061

बुधवार, 19 दिसम्बर, 2018/28 अग्रहायण, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को फंड मैनेजर के रूप में रूपांतरित करना

1061. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:
श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की धनराशि को संभालने का काम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सौंप करके फंड मैनेजर के रूप में रूपांतरित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपर्युक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2341

बुधवार, 02 जनवरी, 2019 /12 पौष, 1940 (शक)

ईएसआईसी और ईपीएफओ बोर्डों की स्थापना

2341. श्री टी.जी.वेंकटेश:

श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार केन्द्रीय सरकार के संगठनों यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का बोझ कम करने की योजना बना रही है ताकि उन संगठनों के स्थान पर सामाजिक सुरक्षा निधियों का प्रबंधन किया जा सके तथा साथ ही अभिदाताओं की संख्या पांच गुना बढ़ाई जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): ऐसा कोई प्रस्ताव के सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख): उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

***

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2350
बुधवार, 02 जनवरी, 2019/12 पौष, 1940 (शक)

प्रधन मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का
कार्यान्वयन

2350. श्री देरेक ओब्रईनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधन मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के तहत 2016 से लाभार्थियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) पीएमआरपीवाई के लाभार्थियों की औसत आय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेतन पंजी में जोड़े गए अतिरिक्त नामों में पीएमआरपीवाई के लाभार्थियों का निवल प्रतिशत कितना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों का 2016 से वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

वर्ष	लाभांवित कर्मचारी
2016-17	**33031**
2017-18	**3025084**
2018-19 (17.12.2018 तक)	**6400010**
कुल	**9458125**

(ख): पीएमआरपीवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15000/- रुपए प्रतिमाह तक सकल मजदूरी पाने वाले नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है।

(ग): सितम्बर, 2017 से अक्तूबर, 2018 तक निवल पे-रोल परिवर्धन (इपीएफओ की वेबसाइट पर यथा-प्रकाशित) 7916299 है जो ईपीएफओ के रिकार्ड के अनुसार, इस अवधि के दौरान नए पंजीकृत किए गए, निष्कासित और फिर से शामिल हुए सदस्यों का निवल है।

तथापि, तदनुरुपी अवधि के दौरान, पीएमआरपीवाई लाभार्थियों की संख्या 8130407 है। ये 15000/- रुपए प्रतिमाह तक अर्जित करने वाले ऐसे कर्मचारी हैं जो ईपीएफओ में विगत में पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहे थे और उनके पास 1 अप्रैल, 2016 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नम्बर नहीं था।

चूंकि दोनों आंकड़े एक समान डेटा सेट से नहीं लिए गए हैं इसलिए निवल पे-रोल परिवर्धनों में से पीएमआरपीवाई लाभार्थियों के प्रतिशत का आकलन करना उचित नहीं होगा।

*****